Pradeep Memorial
COMPREHENSIVE COLLEGE OF EDUCATION
Affiliated to G.G.S.I.P. University
Pratap Vihar, Kirari Extn., Nangloi, Delhi-110086
7290037803,7290037804 ,Email- pmc_coll@yahoo.com

List of Publications for session 2024-25

Sr. No	Name of Faculty	Name of Book /Chapter	ISSN No./ISBN No.
1	Dr.Archana Sisodia	Bharat Ke Sanvidhan mai Mahilaon ko Diye Gaye Aadhikar	0970-9398

PRINCIPAL
P.M.C. COLLEGE OF EDUCATION
PRATAP VIHAR, KIRARI EXTN.
NANGLOI, DELHI-110086

ISSN No. 0970-9398

राजभाषा भारती

वर्ष : 46 अंक 169 मार्च, 2025

दुर्गाबाई देशमुख

हंसा मेहता

सुचेता कृपलानी

सरोजिनी नायडू

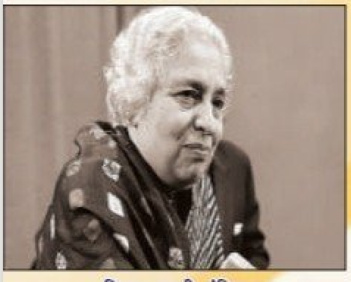
विजय लक्ष्मी पंडित

राजकुमारी अमृत कौर

अम्मू स्वामीनाथन

एनी मास्कारेन

संविधान सभा की महिला सदस्यों को श्रद्धांजलि

दक्षायनी वेलायुधन

बेगम ऐज़ाज़ रसूल

रेणुका रे

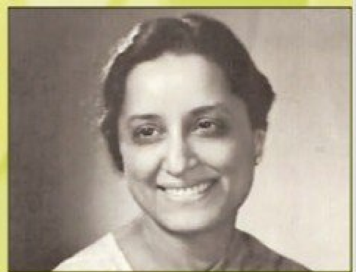
कमला चौधरी

लीला रॉय

मालती चौधरी

पूर्णिमा बनर्जी

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

राजभाषा भारती

वर्ष : 46 अंक : 169 मार्च, 2025

''हमारा संविधान हमारी एकता का आधार है, जो विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है।''

-नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

संरक्षक

अंशुली आर्या
सचिव, राजभाषा विभाग

प्रधान संपादक

डॉ. मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग

उप सचिव (पत्रिका)

अनिल कुमार

संपादन

वीरेन्द्र कुमार
सत्येंद्र दहिया

टंकण एवं वितरण सहयोग

विनोद कुमार
अनिल कनौजिया

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उससे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

पत्र-व्यवहार का पताः

उप सचिव (पत्रिका)
राजभाषा विभाग
एनडीसीसी-II भवन, चौथा तल,
बी विंग, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001
ईमेल-patrika-ol@nic.in
वेबसाइट-rajbhasha.nic.in

निःशुल्क वितरण के लिए

शुभकामना संदेशः

शुभकामना संदेशः	03
❖ सचिव, राजभाषा विभाग का संदेश	03
❖ संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग का संदेश	04

लेख :

क्र. सं.	शीर्षक	लेखक का नाम	पृष्ठ सं.
01.	भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय महिलाओं का योगदान	डॉ. मनोज कुमार	05
02.	रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट–स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांतिकारी सशस्त्र महिला रेजीमेंट	डॉ. कुसुम नौटियाल	09
03.	भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान	डॉ. कमलकिशोर एस. गुप्ता	13
04.	भारत के संविधान में महिलाओं को दिए गए अधिकार	डॉ. काजल पाण्डे	17
05.	संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 का महत्व	विकास कुमार	21
06.	दक्षिण भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नारी शक्ति	श्रीनिवास राव	25
07.	महिलाओं का संघर्ष : भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक मील का पत्थर	डॉ. उमा जनागल	29
08.	महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 के सामाजिक–आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण : अवसर और चुनौतियाँ	डॉ. संजय रामन	33
09.	भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख वीरांगनाएं	सुरेश तिवारी	39
10.	भारत का संविधान और महिला अधिकार	डॉ. ओम प्रकाश	42
11.	स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरक नायिकाएं	मधुलीना घोष	47
12.	महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विविध सांविधानिक प्रावधान	अमृता पांडेय	51

ISSN No. : 0970-9398

रा
ज
भा
षा
भा
र
ती

क्र. सं.	शीर्षक	लेखक का नाम	पृष्ठ सं.
13.	स्वतंत्रता संग्राम की विस्मृत नायिकाएं	वाई. उमापति	55
14.	वैश्विक परिप्रेक्ष्य में महिला आरक्षण अधिनियम, 2023	मन मोहन वैश्य	61
15.	भारतीय स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं का योगदान	डॉ. बृजेंद्र कुमार अग्निहोत्री	66
16.	समावेशी भारत की ओर एक सशक्त कदम: महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 (महत्व, चुनौतियाँ और भविष्य)	डॉ. अरुणा त्रिपाठी	71
17.	भारत के संविधान निर्माण में महिलाओं की भूमिका	ब्रजेश कुमार मिश्र	76
18.	नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 : लैंगिक समावेशी लोकतंत्र की दिशा में एक मजबूत कदम	डॉ. स्मिता अग्रवाल	80
19.	भारत के संविधान में महिलाओं को दिए गए अधिकार	डॉ. वेद प्रकाश बोरकर	87
20.	महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 : एक ऐतिहासिक निर्णय	अभयानंद शर्मा	93
21.	भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय महिलाओं की स्थिति	प्रो. राजेश कुमार	95
22.	भारतीय संविधान : महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी दस्तावेज	रचिता रानी	100
23.	भारत के संविधान में महिलाओं को दिए गए अधिकार	डॉ. अर्चना सिसोदिया	104
24.	इतिहास से वर्तमान तक—महिलाओं की भूमिका और योगदान	कृष्ण हसीजा	111

ISSN No. : 0970-9398

भारत के संविधान में महिलाओं को दिए गए अधिकार

डॉ. अर्चना सिसोदिया
सहायक प्राध्यापक, 27, धीरपुर दिल्ली -09

हर युग में सामाजिक विकास के इतिहास में महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा प्रासंगिक बना रहा है। यह हर युग में चर्चा का विषय रहा, जैसा कि प्रसिद्ध विचारक फ्रेडरिक एंगेल्स ने अपनी क्लासिकल रचना "परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति" में सही रूप से कहा था कि "महिला वह पहली इंसान थी जिसने बंधन का स्वाद चखा। महिला गुलाम बनने से पहले ही गुलाम थी।" महिलाओं की सच्चाई उतनी ही पुरानी है जितनी जीवन की सच्चाई। प्राचीन काल में, संत जरथुस्त्र जब जीवन के सत्य की खोज में थे, तो उन्होंने एक वृद्ध महिला से महिलाओं के सत्य के बारे में पूछा। वृद्ध महिला ने उत्तर दिया, "मुझे नहीं पता, लेकिन यदि तुम उसके पास जा रहे हो, तो अपने साथ एक शिकारी चाबुक (हंटर) ले जाओ, ताकि उसे संभाल सको।" इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक विकास के प्रारंभिक दौर में भी महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण कैसा था।

भारत में महिलाओं की स्थिति को लेकर अलग–अलग विचार देखने को मिलते हैं तथा उनकी स्थित से उन्हें प्राप्त अधिकारों के बारे में भी अवगत हुआ जा सकता है। विद्या की देवी सरस्वती, शक्ति की देवी पार्वती और समृद्धि की देवी लक्ष्मी के रूप में स्त्रियों को सम्मान दिया गया। भारतीय पौराणिक कथाओं में गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। हम इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि प्राचीन भारत में महिलाओं को उच्च स्थान एवं अधिकार प्राप्त थे।

लेकिन इतिहास हमें यह भी बताता है कि महिलाओं के प्रति आदरभाव के बावजूद, उन्हें अक्सर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा गया। धार्मिक और पारंपरिक ग्रंथों में महिलाओं की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने वाले नियम बनाए, जिससे उनके जीवन में पुरुषों पर निर्भरता बनी रही। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियाँ अपवाद थीं, न कि सामान्य नियम।

महिला अधिकारों के लिए संघर्ष सदियों से जारी है। औपनिवेशिक काल में, समाज सुधार आंदोलनों ने सती प्रथा, बाल विवाह और महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध जैसी कुरीतियों को चुनौती दी। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सावित्रीबाई फुले जैसे समाज सुधारकों ने महिलाओं के अधिकारों की पुरजोर वकालत की।

भारतीय संविधान देश का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके अनुसार देश का शासन कार्यशील है। किसी भी देश के संविधान में उस देश की आस्थाओं, विश्वासों, आधारभूत शाश्वत मूल्यों और सिद्धांतों के समेकित दर्शन होते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने हमारे देश की एतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रख कर संविधान का निर्माण किया है। उनका लक्ष्य एक लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों को स्पष्ट किया है। हमारे संविधान की अपनी विशिष्टतायें हैं जो उसे विश्व के अन्य संविधानों से अलग करती हैं। यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता व दूरदृष्टि का प्रमाण है कि उन्होंने विश्व के महत्वपूर्ण संविधानों के श्रेष्ठ गुणों का संविधान में समावेश किया है, उन्होंने भारतीय परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार उनमें वांछित परिवर्तन किये जाने का विकल्प रखा है। इसीलिए इसे जीवंत संविधान का दर्जा दिया गया है। यह हमारे देश का सर्वोच्च कानून है जो शासकीय तंत्र को सक्रिय रूप से काम करने व व्यवस्था संचालित करने हेतु दिशा निर्देशित करता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान देश में लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत एवं विशाल संविधान महिला अधिकारों के महत्त्वपूर्ण विषय पर भी विश्व में सबसे आगे ही है। भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों का प्रावधान करने के साथ ही विभिन्न आयोगों की स्थापना भी की गयी है। आधुनिक भारत में, संविधान और कानूनों के माध्यम से महिला अधिकारों की गारंटी दी गई है।

आधुनिक युग में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों के साथ–साथ भारतीय समाज के हर क्षेत्र में सामाजिक विकास आंदोलन का नेतृत्व किया। वास्तव में, महात्मा गांधी का राजनीतिक आंदोलन समाज और मानव विकास के प्रत्येक पहलू को समाहित करता था। यह आंदोलन साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष था, यह सामाजिक सुधारों के लिए लड़ाई थी और यह मानव जाति में समानता स्थापित करने का भी प्रयास था।

महात्मा गांधी महिलाओं की अंतर्निहित शक्ति में पूर्ण विश्वास रखते थे। उन्होंने इस पर जोर देते हुए कहा था:

ISSN No. : 0970-9398

"महिलाओं की पूर्ण मुक्ति और पुरुषों के साथ समानता प्राप्त करना हमारे सामाजिक विकास का अंतिम लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति को दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती।"

भारतीय संविधान, जो एक महान दस्तावेज़ है, हमारे देश और समाज के लोकतांत्रिक सामाजिक निर्माण में हमसे एक या दो पीढ़ी पहले के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय संविधान "समानता के संकल्प" को आत्मसात करता है। अनुच्छेद 14, 15 और 16 प्रत्येक नागरिक को लिंग, जाति, धर्म और जन्मस्थान की परवाह किए बिना समानता का मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। इसके अलावा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में निहित निर्देशक सिद्धांतों के तहत, राज्य को अपनी नीतियों को इस प्रकार निर्देशित करना आवश्यक है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान वेतन सहित सभी नागरिकों के लिए समानता सुनिश्चित हो।

संविधान के अनुच्छेद 51–ए के तहत प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह उन प्रथाओं को त्यागे जो महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक हैं। हमारे संविधान में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान अनुच्छेद 253 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि, समझौते, सम्मेलन या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए कानून बना सके।

हम मानवाधिकारों के विभिन्न मुद्दों, विशेष रूप से लैंगिक न्याय के मामले में, पूरे विश्व के साथ समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अनुच्छेद 253 के तहत संसद को जो शक्ति प्राप्त है, उसके आधार पर विभिन्न कानूनों को लागू किया गया है। हमारी संसद ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत संधियों, समझौतों और प्रस्तावों को लागू करने के लिए कई कानून बनाए हैं ताकि संपूर्ण रूप से मानव गरिमा को सम्मान दिया जा सके।

संवैधनिक प्रावधान महिलाओं को भेदभाव से बचाने, उनकी भलाई को बढ़ावा देने और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।

अनुच्छेद 14 , 15 और 16 जैसे मौलिक अधिकार समानता के अधिकार की स्थापना करते हैं और लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकते हैं, जिससे महिलाएं सम्मान के साथ रह सकें और उन्हें समान अवसर मिलें। अनुच्छेद 39, 42 और 43 सहित निर्देशक सिद्धांत आर्थिक न्याय, समान वेतन और मातृत्व के दौरान सहायता की वकालत करते हैं। इसके अलावा, अनुच्छेद 51ए(ई) महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के नैतिक कर्तव्य पर जोर देता है।

इसके अतिरिक्त, संवैधानिक संशोधनों ने पंचायतों और नगर पालिकाओं में सीटों के आरक्षण के माध्यम से स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी को सुगम बनाया है, जो महिलाओं के प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी बढ़ाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ये प्रावधान सामूहिक रूप से भारत में महिलाओं के अधिकारों और स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करते हैं।

भारत में महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता

भारत में महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान ऐतिहासिक असमानताओं और भेदभाव को संबोधित करने और सुधारने के लिए स्थापित किए गए हैं जिनका सामना महिलाओं ने किया है। ये उपाय न्यायपूर्ण, समतामूलक समाज की नींव में महिलाओं की आवश्यक भूमिका को स्वीकार करते हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हैं।

संविधान में महिलाओं के लिए अधिकारों और सुरक्षा को शामिल करके, भारत एक ऐसा कानूनी और सामाजिक वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, उनके अधिकारों की गारंटी देना तथा उन्हें सम्मान और समानता के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाना है, जिससे राष्ट्र की प्रगति बढ़ेगी तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखा जा सकेगा।

भारत में महिलाओं के लिए प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

मौलिक अधिकार और महिला सशक्तिकरण

भारत में महिलाओं के अधिकारों की आधारशिला संविधान में निहित मौलिक अधिकारों में पाई जा सकती है। ये अधिकार लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और भेदभाव और अन्याय के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए आधारशिला के रूप में काम करते हैं।

अनुच्छेद 14: समानता का अधिकार

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 प्रत्येक नागरिक को "समानता के अधिकार" की गारंटी देता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने में सहायक है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और अवसर प्राप्त हों तथा यह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में लैंगिक समानता के लिए आधार तैयार करता है।

अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 15(3): भेदभाव का निषेध और विशेष प्रावधान

जबकि अनुच्छेद 15(1) राज्य द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है।

ये अनुच्छेद सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि महिलाओं के साथ मनमाने ढंग से भेदभाव न किया जाए, साथ ही ऐतिहासिक और प्रणालीगत लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की अनुमति भी देते हैं।

अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता

अनुच्छेद 16 रोजगार के क्षेत्र में समानता के अधिकार का विस्तार करता है तथा राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान रोजगार के अवसरों की गारंटी देता है।

यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को पुरुषों के समान सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों तक पहुंच प्राप्त हो।

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत और महिला अधिकार

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए दिशा–निर्देश के रूप में काम करते हैं जिनका उद्देश्य न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है। ये सिद्धांत, हालांकि अदालतों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन देश के शासन में मौलिक हैं और राज्य को कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करने का निर्देश देते हैं।

अनुच्छेद 39(ए), अनुच्छेद 39(डी) और अनुच्छेद 39ए: आर्थिक न्याय और कानूनी सहायता सुनिश्चित करना

अनुच्छेद 39(ए) के अनुसार राज्य पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 39(डी) एक कदम आगे बढ़कर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है, जिसका उद्देश्य लिंग के आधार पर वेतन असमानताओं को खत्म करना है।

अनुच्छेद 39ए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने पर जोर देता है, यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय तक पहुंच से वंचित न किया जाए। ये अनुच्छेद सामूहिक रूप से महिलाओं के लिए आर्थिक न्याय और समान अवसर स्थापित करने की दिशा में काम करते हैं।

अनुच्छेद 42 और मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

अनुच्छेद 42 के अनुसार अधिनियमित मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, महिलाओं के लिए काम की न्यायपूर्ण और मानवीय स्थितियाँ तथा मातृत्व राहत सुनिश्चित करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह प्रावधान कार्यबल में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए संविधान की चिंता का प्रमाण है।

मौलिक कर्तव्य और महिलाओं के प्रति सम्मान

संविधान का अनुच्छेद 51ए(ई) महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने के लिए प्रत्येक नागरिक के नैतिक दायित्वों को रेखांकित करता है। यह प्रावधान महिलाओं के प्रति सम्मान और गरिमा की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, नागरिकों से महिलाओं को अपमानित करने या उनके साथ भेदभाव करने वाली प्रथाओं को खत्म करने का आग्रह करता है।

स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी के लिए संवैधानिक सुरक्षा

लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी के महत्व को स्वीकार करते हुए, संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के विशिष्ट प्रावधान शामिल किए गए हैं।

अनुच्छेद 243–डी(3), 243–डी(4), 243–टी(3) और 243–टी(4): स्थानीय निकायों में आरक्षण

इन अनुच्छेदों में प्रत्येक पंचायत और नगर पालिका में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के कुल पदों में से एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

महिला सुरक्षा हेतु विशेष अधिनियम:–

अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956

यह अधिनियम भारत में वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसे ÞSuppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act (SITA), 1956" के रूप में भी जाना जाता है, जिसे बाद में "The Immoral Traffic (Prevention) Act (ITPA), 1986" के रूप में संशोधित किया गया। इस अधिनियम के तहत महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण और तस्करी के खिलाफ सख्त प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी को रोकना और समाप्त करना, वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों के शोषण को नियंत्रित करना एवं वेश्यावृत्ति के आसपास होने वाली आपराधिक गतिविधियों को दंडित करना है। यह अधिनियम वेश्यावृत्ति को सीधे अपराध नहीं मानता, लेकिन इसे सार्वजनिक स्थानों पर करने को अपराध बनाता है एवं वेश्यावृत्ति के लिए बलपूर्वक किसी को बाध्य करना अपराध है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और बच्चों की तस्करी और उनका यौन शोषण गंभीर अपराध माना गया है एवं इसमें शामिल व्यक्तियों को कठोर दंड दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए उकसाना या बाध्य करना अपराध है। सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए कानून लागू किए गए हैं। वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य करने पर कठोर कारावास (ज्यादा से ज्यादा 7 वर्ष तक) और जुर्माना लगाया जा सकता है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के शोषण में शामिल होने पर सख्त सजा दी जाती है। पीड़ितों को बचाने और पुनर्वास करने के लिए उपाय किए गए हैं। महिलाओं और बच्चों को तस्करी और शोषण से बचाने के लिए आश्रय गृह और पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं। यह अधिनियम महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण को रोकने और उनके अधिकारों की

रक्षा के लिए एक प्रभावी उपकरण है। इसका उद्देश्य वेश्यावृत्ति को नियंत्रित करना और समाज में महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बनाए रखना है।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) (1986 में संशोधित)

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 भारत में दहेज प्रथा को रोकने और महिलाओं को इस कुप्रथा से उत्पन्न शोषण से बचाने के लिए लागू किया गया था। 1986 में इसमें संशोधन करके इसे और प्रभावी बनाया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य दहेज प्रथा को समाप्त करना, दहेज की मांग, देना और लेना को अपराध घोषित करना, दहेज से जुड़े उत्पीड़न और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकना है। इसके तहत विवाह के समय, विवाह से पहले या बाद में, किसी भी पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन, संपत्ति, या किसी प्रकार के मूल्यवान सामान की मांग को दहेज माना गया है। यह "स्वेच्छा से दिए गए उपहार" से अलग है, लेकिन यदि उपहार की मांग की जाती है, तो वह दहेज माना जाता है। दहेज लेना, देना, या मांगना दंडनीय अपराध माना गया है। इसमें शामिल पाए जाने पर सजा का प्रावधान किया गया है। दहेज मांगने पर 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना एवं दहेज लेने या देने पर भी समान दंड का प्रावधान किया गया है। दहेज हत्या (दहेज के लिए किए गए उत्पीड़न या हत्या) के मामलों में कठोर सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है। दहेज से जुड़े उत्पीड़न (IPC की धारा 498।) के तहत दहेज यदि पति या ससुराल वाले दहेज की मांग के लिए महिला पर अत्याचार करते हैं, तो यह अपराध है। महिला के शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। यह कानून महिलाओं के सम्मान, स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

महिलाओं का अभद्र चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 (The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986) भारत सरकार द्वारा पारित एक कानून है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के प्रति अभद्र और अशोभनीय चित्रण को रोकना और समाज में उनके सम्मान की रक्षा करना है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों में महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा करना, विज्ञापनों, पुस्तकों, चित्रों, फिल्मों या अन्य किसी भी माध्यम में महिलाओं के अभद्र चित्रण को रोकना, महिलाओं के खिलाफ लैंगिक भेदभाव और अपमानजनक दृष्टिकोण को समाप्त करना है। इस अधिनियम के तहत किसी भी रूप में (शब्द, चित्र या अन्य तरीके से) महिलाओं का ऐसा चित्रण जो अश्लील, अपमानजनक या उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला हो एवं किसी भी माध्यम में प्रसारित वह सामग्री, जिसका उद्देश्य उत्पाद या सेवाओं का प्रचार करना है, को अपराध माना गया है। यह अधिनियम महिलाओं के सम्मान को बढ़ावा देने और समाज में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1987 (The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987) भारत सरकार द्वारा पारित एक सख्त कानून है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के जीवन की रक्षा करना और सती प्रथा जैसे अमानवीय कृत्य को पूरी तरह समाप्त करना है। यह अधिनियम 1988 में प्रभाव में आया। इस अधिनियम का उद्देश्य सती प्रथा को रोकना है जिसमें एक महिला को अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता पर आत्मदाह करने के लिए विवश किया जाता है, सती प्रथा के प्रचार–प्रसार, महिमामंडन, या इसे बढ़ावा देने वाली किसी भी गतिविधि पर प्रतिबंध लगाना एवं इस प्रथा से संबंधित किसी भी तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, या धार्मिक समर्थन को समाप्त करना है। सती की किसी भी घटना को अंजाम देना या उसमें भाग लेना दंडनीय अपराध माना गया है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) भारत सरकार द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। यह अधिनियम महिलाओं के खिलाफ होने वाली मानसिक, शारीरिक और यौन हिंसा के खिलाफ एक कानूनी उपाय है। इस अधिनियम के उद्देश्यों में महिलाओं को घरेलू हिंसा के विभिन्न रूपों से बचाना, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, यौन और आर्थिक हिंसा रोकना, पीड़ित महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और सहायता प्रदान करना, महिलाओं को त्वरित न्याय प्रदान करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना, घरेलू हिंसा के मामलों में महिलाओं को संरक्षण, न्याय और सहायता सुनिश्चित करना शामिल है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा के विभिन्न रूपों से बचाने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रस्तुत करता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 लागू किया। यह कानून महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान करता है।

इस अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न को किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध किए गए अनुचित शारीरिक संपर्क, यौन अनुरोध, द्विअर्थी बातें या किसी भी प्रकार की यौन उत्पीड़नकारी हरकतों के रूप में परिभाषित किया गया है। यह अधिनियम सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के संगठनों पर लागू होता है, जिसमें शिक्षण संस्थान, अस्पताल, खेल संगठन और अन्य कार्यस्थल शामिल हैं।

इस कानून के अनुसार, 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संगठन में एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन अनिवार्य है, जो पीड़िता की शिकायतों की जांच करती है।

साथ ही, 10 से कम कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए स्थानीय शिकायत समिति (LCC) बनाई जाती है। दोषी पाए जाने पर दंड का भी प्रावधान है, जिसमें वेतन कटौती से लेकर नौकरी समाप्ति और कानूनी कार्रवाई तक शामिल हो सकती है।

यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करता है और लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

महिला आरक्षण विधेयक, 2023 (संशोधित 108वां संविधान संशोधन विधेयक)

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महिला आरक्षण विधेयक, 2023 संसद में पारित किया गया। इसे "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" भी कहा जाता है। इस विधेयक के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% (एक–तिहाई) सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। यह संविधान का 128वां संशोधन है, जिसे 108वें संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तावित किया गया था।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक प्रतिनिधित्व देना और राजनीति में उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। यह आरक्षण अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की महिलाओं के लिए भी लागू होगा।

हालांकि, यह आरक्षण जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू होगा, जिससे इसके प्रभावी होने में कुछ समय लग सकता है। इसके बावजूद, यह विधेयक भारतीय राजनीति में लैंगिक समानता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून महिलाओं को सशक्त बनाने, उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और नीतिगत निर्णयों में उनकी आवाज को मजबूती देने में सहायक होगा।

परिवार संबंधी विधि एवं महिला अधिकार

भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ विभिन्न धर्मों का स्वतंत्र रूप से पालन किया जाता है। प्रत्येक समुदाय का अपना पारिवारिक कानून है। हिंदुओं के लिए अलग पारिवारिक कानून है, मुसलमानों का अलग और इसी तरह ईसाईयों, पारसियों और यहूदियों के भी अपने–अपने पारिवारिक कानून हैं।

लोग विवाह को धार्मिक अनुष्ठानों और विधियों के अनुसार संपन्न करते हैं, जो आमतौर पर उनके व्यक्तिगत कानूनों द्वारा संहिताबद्ध होते हैं। इसलिए, भारत में विवाह, तलाक और उनसे संबंधित अन्य मुद्दे मुख्य रूप से संबंधित धर्म के व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते हैं:

- **हिंदूः** हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
- **मुस्लिमः** मुस्लिम विवाह, मुस्लिम कानून के तहत एक अनुबंध है।
- **ईसाईः** भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 और तलाक अधिनियम, 1869।
- **पारसीः** पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936।

भारत में पारिवारिक कानून का एक अन्य पहलू भी है, जो तब लागू होता है जब संबंधित पक्ष इसे अपनाने का निर्णय लेते हैं। कोई भी दो व्यक्ति, चाहे वे किसी भी धर्म या राष्ट्रीयता से संबंधित हों, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह कर सकते हैं। यह एक नागरिक (सिविल) कानून है, जिसके अंतर्गत विभिन्न धर्मों, जातियों या समुदायों के व्यक्ति विवाह कर सकते हैं और इसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तलाक भी ले सकते हैं। इस अधिनियम के तहत विवाह करने वाले व्यक्तियों के लिए एक समान पारिवारिक कानून लागू होता है, भले ही वे अलग–अलग धर्मों को मानते हों।

संविधान और पारिवारिक कानून

भारतीय संविधान के अनुसार, सभी व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) समवर्ती सूची में आते हैं। अर्थात, संसद और राज्य विधानसभाओं, दोनों को इन पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। हालांकि, मुस्लिम वक्फ और हिंदू धर्मार्थ संस्थाओं से जुड़े कानूनों को छोड़कर, राज्य विधानसभाओं ने इस शक्ति का अधिक उपयोग नहीं किया है। संपूर्ण संहिताबद्ध हिंदू कानून संसद द्वारा बनाया गया है, हालांकि कुछ राज्य विधानसभाओं ने इसमें संशोधन किए हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश विवाह अधिनियम (उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम), 1962 ने क्रूरता को तलाक का आधार बनाया, जिसे बाद में विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया गया।

शरीयत अधिनियम, 1937 और मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939, केंद्र द्वारा पारित किए गए थे। इसी तरह पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936, ईसाई विवाह अधिनियम, 1872, भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 तथा स्वतंत्रता से पहले हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में किए गए कई सुधार भी केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए थे।

भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ विभिन्न धर्मों के लोगों को अपने व्यक्तिगत (पर्सनल) कानूनों का पालन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसलिए, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और भरण–पोषण जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए भिन्न–भिन्न व्यक्तिगत कानून मौजूद हैं, जो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदायों के लिए अलग–अलग विवाह, उत्तराधिकार और तलाक के नियम निर्धारित करते हैं।

- हिंदूः हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत शासित होते हैं।
- मुस्लिमः इस्लामिक नियमों और पवित्र कुरान के सिद्धांतों के तहत विवाह संपन्न होता है।
- ईसाईः ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 के तहत विवाह संपन्न होता है।
- पारसीः पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 के तहत शासित होते हैं।

- विशेष विवाह अधिनियम, 1954: यह धर्मनिरपेक्ष कानून है, जो भारत में निवास करने वाले किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए लागू होता है।

विवाह से संबंधित प्रमुख अधिनियम

विभिन्न धर्मों के लोगों पर लागू विवाह संबंधी कानून निम्नलिखित अधिनियमों में संहिताबद्ध किए गए हैं:

1. परिवर्तित धर्मावलंबियों का विवाह विघटन अधिनियम, 1866
2. भारतीय तलाक अधिनियम, 1869
3. भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872
4. काजी अधिनियम, 1880
5. आनंद विवाह अधिनियम, 1909
6. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
7. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929
8. पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936
9. मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939
10. विशेष विवाह अधिनियम, 1954
11. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
12. विदेशी विवाह अधिनियम, 1969
13. मुस्लिम महिलाओं (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 को संसद द्वारा पारित किया गया था, ताकि हिंदू विवाह कानूनों में संशोधन और संहिता (कोडिफिकेशन) किया जा सके। इस अधिनियम का उद्देश्य हिंदुओं के बीच विवाह की संस्था को नियंत्रित करना है, जिसमें विवाह की वैधता और अमान्यता की शर्तें शामिल हैं। यह अधिनियम हिंदुओं के व्यक्तिगत जीवन के अन्य पहलुओं को भी नियंत्रित करता है और विवाह को एक व्यवस्थित सामाजिक संस्था के रूप में सुनिश्चित करता है।

महत्वपूर्ण प्रावधान

1. **विवाह की वैधता** – हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें निर्धारित की गई हैं, जैसे कि आयु–सीमा, मानसिक स्थिरता और निकट संबंधों में विवाह का निषेध।
2. **विवाह की अमान्यता** – यदि विवाह इन शर्तों का पालन नहीं करता है, तो इसे अमान्य या रद्द करने योग्य घोषित किया जा सकता है।
3. **तलाक के आधार** – यह अधिनियम तलाक के विभिन्न आधारों को निर्धारित करता है, जिनमें व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग, धर्म परिवर्तन, मानसिक विकार, असाध्य रोग और आपसी सहमति से तलाक शामिल हैं।

इस प्रकार, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 हिंदुओं के विवाह को नियंत्रित करता है और उनकी सामाजिक तथा पारिवारिक संरचना को विधिसम्मत रूप से निर्देशित करता है।

परिवार कानूनः महिलाओं का भरण–पोषण का अधिकार

शब्दकोश के अनुसार, "भरण–पोषण" का अर्थ किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता या जीवन–यापन का साधन होता है। विवाह कानूनों में किसी भी धर्म के समुदाय के लिए भरण–पोषण की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन भरण–पोषण का दावा करने का अधिकार इस धारणा पर आधारित है कि दावेदार (मुख्य रूप से पत्नी) के पास अपना जीवन–यापन करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं।

सरल शब्दों में, भरण–पोषण का अर्थ वह आर्थिक सहायता है, जो एक व्यक्ति, जो कानूनी रूप से बाध्य है, दूसरे व्यक्ति को प्रदान करता है, जब वह अपनी वित्तीय स्थिति के कारण आत्मनिर्भर नहीं हो पाता।

(इ) महिलाओं को भरण–पोषण का अधिकार

महिला को तलाक की कार्यवाही के दौरान तथा तलाक के बाद भी भरण–पोषण मिल सकता है। यह सहायता पति द्वारा मासिक आधार (Monthly) पर या एकमुश्त राशि (Lump Sum) के रूप में दी जाती है, जिससे पत्नी अपनी मौलिक आवश्यकताएँ जैसे भोजन, वस्त्र, आवास आदि प्राप्त कर सके।

भरण–पोषण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पत्नी को वैसा ही जीवन स्तर और आराम मिले, जैसा कि वह विवाह के दौरान अनुभव कर रही थी।

(ब) भरण–पोषण की राशि कितनी होती है?

भरण–पोषण की कोई निश्चित राशि निर्धारित नहीं की गई है। यह पति की आय, पत्नी की आर्थिक स्थिति और अन्य कारकों के आधार पर तय की जाती है। भरण–पोषण का दावा निम्नलिखित कानूनों के तहत किया जा सकता है:

1. व्यक्तिगत कानून के तहत
2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत
3. महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत

(क) हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के अनुसार

इस अधिनियम में भरण–पोषण में निम्नलिखित चीजों की व्यवस्था शामिल है:

- भोजन, वस्त्र और आवास
- शिक्षा और चिकित्सा उपचार

- अविवाहित पुत्री के लिए विवाह व्यय भी इसमें शामिल किया गया है

प्रावधान

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

इस संहिता की धारा 125 के तहत कोई भी परित्यक्त पत्नी, विधवा, माता या पुत्री भरण–पोषण की मांग कर सकती है। यदि पति पत्नी की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है, तो अदालत उसे भरण–पोषण देने के लिए बाध्य कर सकती है।

(2) हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

इस अधिनियम की धारा 24 और 25 के अंतर्गत, विवाह के दौरान या तलाक के बाद, पति या पत्नी में से कोई भी भरण–पोषण का दावा कर सकता है, लेकिन आमतौर पर यह अधिकार पत्नी के पक्ष में जाता है।

(3) हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, 1956

इस अधिनियम के तहत, पति को अपनी पत्नी, माता और पुत्री को भरण–पोषण प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है।

(4) महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005

यदि महिला को पति या ससुराल वालों द्वारा घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, तो वह इस अधिनियम के तहत न्यायिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है।

महिलाओं का भरण–पोषण का अधिकार एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी महिला को आर्थिक कठिनाइयों के कारण असहाय न रहना पड़े। भारतीय संविधान और विभिन्न व्यक्तिगत एवं नागरिक कानूनों के तहत महिलाओं को भरण–पोषण का कानूनी अधिकार प्राप्त है ताकि वे एक गरिमामय जीवन जी सकें।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में महिला अधिकारों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों की गारंटी देकर, आर्थिक न्याय को बढ़ावा देकर और स्थानीय शासन में भागीदारी सुनिश्चित करके, संविधान महिलाओं के अधिकारों और हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करता है। हालांकि इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन पूर्ण लैंगिक समानता की दिशा में यात्रा जारी है। राज्य, नागरिक समाज और व्यक्तियों के लिए यह जरूरी है कि वे एक ऐसे समाज के संवैधानिक दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मिलकर काम करें, जहां महिलाएं सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के साथ रह सकें।

संदर्भः–

1. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली
2. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
3. भारतीय संविधान, डॉ. एम. पी. राय, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर 1984
4. राजनीति विज्ञान मूलभूत अवधारणाएँ, डॉ. सी.एस. चौधरी, नीरव प्रकाशन, जयपुर 2000
5. महिला अधिकार, ममता मेहरोत्रा, राधाकृष्ण प्रकाशन 2014
6. Chatterjee I, Gender Justice and Feminist Jurisprudence, Central Law Publication, 2017, 2021
7. राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली।